परिवहन क्षेत्र की रक्षा और मजदूरों के अधिकारों के लिए कूंच करें! संसद चलो 24 मार्च–2025; कूंच के भागीदार बनें और सफल बनाऐं!

–ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू.एफ.

प्रिय बहनों और भाइयों,

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने सड़क परिवहन क्षेत्र की रक्षा और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए 24–03–2025 को संसद चलो का आह्वान किया है। एआईआरटीडब्ल्यूएफ सभी सड़क परिवहन कर्मचारियों से अपील करता है कि वे सरकार को कड़ी फटकार लगाने के लिए बड़े पैमाने पर भाग लें।

यह संसद क्यों? ई–रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सीध्कैब, ट्रक, निजी बस, आरटीसी से लेकर सड़क परिवहन क्षेत्र के सभी खंड भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण गंभीर वित्तीय संकट में फंस गए हैं। मजदूरों की स्थिति दयनीय है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और दबाव बनाना चाहिए। इसीलिए चलो संसद का आह्वान किया गया है।

मजदूरों की स्थितिः सड़क परिवहन मजदूरों को सभी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे वाहन चलाना पड़ता है। भीषण सर्दी, गर्मी और बरसात जैसी मौसमी परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। इसके बाद भी वे किसी भी श्रम कानून, न्यूनतम वेतन आदि के दायरे में नहीं आते। वे दयनीय स्थिति में काम कर रहे हैं। साथ ही सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है।

सामाजिक सुरक्षा अधिनियमः भवन एवं अन्य निर्माण मजदूरों ने वीरतापूर्वक संघर्ष करके सामाजिक सुरक्षा (कल्याण बोर्ड) प्राप्त किया है। परिवहन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर भी सड़क परिवहन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती।

दंडः सरकार ने एम.वी. संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से दंड में कई गुना वृद्धि करके संकट को और भी अधिक बढ़ा दिया है। यह कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे को खा रहा है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों का उत्पीड़न दिन–प्रतिदिन का नियम सा बन गया है। इन सभी बोझों के चलते, परिवारों का भरण–पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है।

खतरनाक श्रम संहिताऐंः मजदूरों की दयनीय स्थिति में ईंधन डालते हुए, सरकार ने 4 नए श्रम संहिताऐं लेकर आई है। श्रम संहिताओं के लागू होने से उन श्रम कानूनों को भी समाप्त कर दिया जाएगा जो कुछ हद तक मजदूरों के लिए हितकारी हैं। सरकार इन संहिताओं के क्रियान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। यदि संहिताओं को लागू किया जाता है तो यूनियन बनाने, सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल करने आदि का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

सेक्टर का संकटः भारत सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में असामान्य वृद्धि ऐसे समय पर की है जब अंर्तराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम, टोल शुल्क, स्पेयर पार्टस् आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं। खर्च इतना बढ़ गया है कि आमदनी में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है।

अस्तित्व पर ही खतराः छोटे वाहन मालिकों को भगाने के लिए और उन्हें उबर/ओला/रैपिडो/पोर्टर आदि जैसी विशाल कॉरपरेरेट कम्पनियों को सौंपने के लिए एम.वी. संशोधन अधिनियम 2019 में एक नई धारा 93 ''एग्रीगेटर'' को शामिल किया गया।

सरकार की उपरोक्त सभी कठोर नीतियों के कारण सड़क परिवहन क्षेत्र गहरे संकट में है और कर्मचारी दयनीय स्थिति में हैं। हमें इस स्थिति को क्यों जारी रहने देना चाहिए? हमें इस खतरे को खत्म करना चाहिए। हमें इस अवसर पर आगे आना चाहिए।

प्रयास अनसुने रहेः एआईआरटीडब्ल्यूएफ ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कई अवसरों पर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है, मजदूरों के कल्याण, बढ़ी हुई पेनाल्टी वापस लेने, सुरक्षित और सम्मानजनक कामकाजी स्थितियों के लिए एआईआरटीडब्ल्यूएफ ने कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। 18 दिसंबर 2024 को एआईआरटीडब्ल्यूएफ के एक प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा और विस्तृत चर्चा की। लेकिन सरकार ने अनसुना कर दिया।

समाधानः हमें सरकार के बुरे प्रयासों का डटकर मुकाबला करना होगा। जिसके लिए सरकार पर गंभीर दबाव बनाना होगा। इसी दिशा में एआईआरटीडब्ल्यूएफ ने चलो संसद का आह्वान किया है। एआईआरटीडब्ल्यूएफ सभी सड़क परिवहन कर्मचारियों से अपील करता है कि वे इस कार्यक्रम में बढ़–चढ़कर हिस्सा लें। हम सरकार से निम्नलिखित माँगों का समाधान करने की माँग करते हैं।

माँगें:–

1. डीजल की कीमतें, बीमा प्रीमियम और टोल शुल्क को कम करें और तर्कसंगत बनाया जाए।
2. वाहन स्क्रैपिंग नीति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। परीक्षण परिवहन विभाग के अधीन होना चाहिए। एएसआरटीयू और सीआईआरटी को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यदि वाहन को स्क्रैप किया जाना है तो लागत का 1/3 हिस्सा भारत सरकार और 1/3 हिस्सा वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाए।
3. एम.वी. संशोधन अधिनियम 2019 को क्षेत्र और छोटे मालिकों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।
4. निजी वित्तीय कम्पनियों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीयकृत वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से छोटे मालिकों को ऋण की व्यवस्था की जाए।
5. स्वरोजगार सहित असंगठित सड़क परिवहन मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए।
6. पीएफ, ईएसआई अधिनियमों में उचित संशोधन किया जाए ताकि उन्हें न्यूनतम संख्या की सीमा के बिना सभी असंगठित सड़क परिवहन मजदूरों पर लागू किया जा सके।
7. ड्यूटी के घंटों, साप्ताहिक विश्राम दिवस आदि के सम्बन्ध में एम.टी.डब्लू. अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए।
8. राष्ट्रीय परमिट वाहनों पर दोहरे चालक नियम का प्रावधान बहाल किया जाए।
9. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालकों के लिए मार्ग के किनारे सभी सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाए।
10. बीएनएस–2023 में विधिवत संशोधन करते हुए बीएनएस की धारा 106(1) एवं (2) को वापस लिया जाए।
11. ड्राइवरों और उपभोक्ताओं को कम्पनियों के शोषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा उबर/ओला/रैपिडो/पोर्टर आदि के विकल्प के रूप में ऐप आधारित प्लेटफॉर्म विकसित और संचालित किया जाए और इससे भारत सरकार को भारी मात्रा में धन प्राप्त होगा।
12. दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर पृथक्करण लागू किया जाए।
13. राज्य पर्यटन इकाईयों को सुदृढ़ एवं विस्तारित किया जाए।
14. आरटीसी अधिनियम 1950 के अनुसार एसटीयू को पूँजी अंशदान को बहाल किया जाए।
15. सभी राज्य पर्यटन उपक्रमों के बकाया ऋणों को सरकारी इक्विटी में परिवर्तित कर दिया जाए।
16. इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, रखरखाव और संचालन का काम राज्य परिवहन उपक्रमों को आवंटित किया जाए। सब्सिडी और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण राज्य परिवहन उपक्रमों को दिया जाए।
17. श्रम संहिताओं को वापस लो।